Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **परिवहन विभाग के परिवहन निरीक्षक, सुजानाराम चौधरी के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में माउण्ट आबु, जोधपुर भीनमाल में स्थित 7 ठिकानों पर सर्च ।**
- **सर्च कार्यवाही में जोधपुर भीनमाल, माउण्ट आबु में करोडो रूपये के आलीशान मकान/कोठी/फार्म हाउस होने की पुष्टि ।**

आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है ।

जयपुर, 26 जुलाई शनिवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी की विभिन्न टीमों द्वारा माउण्ट आबु, भीनमाल, सिरोही, जोधुपर में आज अल सुबह कार्यवाही करते हुये सुजानाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय सिरोही के विरूद्ध दर्ज आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में आरोपी के 7 विभिन्न ठिकानों पर छापा मारकर तलाशी अभियान चलाया गया ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि ब्यूरो मुख्यालय को गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी कि श्री सुजानाराम चौधरी, परिवहन निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय जिला सिरोही द्वारा वाहन पंजीकरण लाईसेंस जारी करने, गुजरात बार्डर पर अवैध वसूली और वाहन निरीक्षण जैसी सामान्य सेवाओं के लिए नियमित रूप से रिश्वत प्राप्त की जाकर भ्रष्ट तरीके से भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा अपने एवं अपने परिजनों के नाम से अपनी वैध आय से अननुपातिक रूप से अधिक चल-अचल सम्पत्तियां अर्जित की गई है, जिनकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपयों में है।

उक्त गोपनीय शिकायत का ए.सी.बी. की इन्टेलीजेंस शाखा द्वारा गोपनीय रूप से सत्यापन किया गया तो उक्त अधिकारी द्वारा माउण्ट आबु, भीनमाल, सिरोही व जोधपुर के विभिन्न स्थानों पर आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड/मकान अर्जित करने के तथ्य प्रकट हुए, जिस पर विस्तृत रूप से तथ्य संकलित किये गये एवं तथ्यों की पुष्टि होने पर करीब 2,50,16,159 / रूपये (201 प्रतिशत) की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक अर्जित का मामला बनना पाये जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक श्री अनिल कयाल के**

सुपरवीजन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली-द्वितीय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री खींव सिंह, अनुसंधान अधिकारी के नेतृत्व में सक्षम न्यायालय से तलाशी वारंट प्राप्त किया जाकर ब्यूरो की एक दर्जन टीमों ने एक साथ, आज अलसुबह आरोपी के माउण्ट आबु, सिरोही, भीनमाल, जोधपुर के करीब 7 विभिन्न ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई।

अब तक की गई सर्च कार्यवाही में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित 14 आवासीय/व्यवसायिक अचल सम्पति होने की पुष्टि हुई। आरोपी द्वारा 8000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में एक आलीशान कोठी का निर्माण कर रखा है, जिसमें समस्त आधुनिक लग्जरी महंगे इन्टीरियर, 21 ब्रांडेड कम्पनी के एसी, महंगे फ्रिज, महंगे ब्रांडेड टीवी, आधुनिक लग्जरी फर्नीचर लगवा रखे है, उक्त आलीशान कोठी का मुल्य करोडो रूपये होने का अनुमान है, उक्त मकान की कीमत का आकलन तकनीकी विशेषज्ञ अप्रूव्ड वेल्यूवर द्वारा करवाया जा रहा है।

आरोपी अधिकारी द्वारा जोधपुर में पॉश कॉलोली आशापूर्णा सिटी पाल गावं में आलीशान कोठी का निर्माण कर रखा है। जिसमें समस्त आधुनिक लग्जरी महंगे इन्टीरियर लगवा रखे है, उक्त आलीशान मकान का मुल्य करोडो रूपये होने का अनुमान है, उक्त मकान की कीमत का आकलन तकनीकी विशेषज्ञ अप्रुव्ड वेल्यूवर द्वारा करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जोधुपर में लाखों रूपये का एक मकान तथा एक दुकान होने की पुष्टि हुई।

आरोपी द्वारा हाल ही में निवेश हेतु माउण्ट आबु में करोडो रूपये की कोठी खरीदने की पुष्टि हुई है। सर्च के दौरान उक्त कोठी में अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जाना पाये जाने पर नगर पालिका प्रशासन को सूचित किया गया जिस पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण सामग्री को जब्त किया गया।

आरोपी अधिकारी के भीनमाल, जालोर, माउण्ट आबू में और कई भूखण्ड होकर करोडो रूपये की परिसम्पति होने की पुष्टि हुई है।

ब्यूरो के प्राथमिक आंकलन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अब तक तलाशी में मिले दस्तावेजों के अनुसार आरोपी सुजानाराम चौधरी द्वारा अपने अल्प सेवाकाल में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा करोड़ों रुपये की कीमत की अनेक चल-अचल परिसम्पत्तियां अर्जित करने का अनुमान है, जो उनकी वैध आय से अननुपातिक रूप से बहुत अधिक है इसके अतिरिक्त आरोपी एवं उसके परिजनों द्वारा कई अन्य परिसम्पत्तियों में निवेश के साक्ष्य मिले है, जिनकी विस्तृत जाँच की जायेगी।

ए.सी.बी. की विभिन्न टीमों द्वारा आरोपी के ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है। मामले में एसीबी द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।